(हिमाचल प्रदेश सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा)

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

सं0:विस0-विधायन-शून्यकाल/1-95/2024 दिनांक: 10 दिसम्बर, 2024

हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रकिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 346 के अनुसरण में अध्यक्ष अपनी अवशिष्ट शक्तियां का प्रयोग करते हुए सदन में शून्यकाल आरम्भ करने का निर्णय लेते हैं। जिसके लिए विनियमित प्रक्रिया एवं नियमावली निम्न प्रकार से है:

- जनता के प्रतिनिधि के रूप में सदस्यों का यह कर्तव्य है कि वे सदन में तत्काल सार्वजनिक लोक महत्व के मामले उठाएं; जनता की शिकायतों को व्यक्त करें और उनका निवारण करवाएं; सरकार से सूचना प्राप्त करें और विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करें।
- शून्य काल को प्रश्नकाल की समाप्ति और दिन के कार्य के लिए सूचीबद्ध किये गये मदों को लेने के बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया जाता है। सत्र के दौरान प्रत्येक कार्य-दिवस में प्रश्नकाल के पश्चात् 30 मिनट का समय शून्य काल होगा ।
- शून्यकाल के दौरान लोकमहत्व/जनहित मामले उठाने के लिए, सदस्यों को बैठक के प्रारम्भ होने से 01:30 घन्टा पूर्व माननीय अध्यक्ष/सचिव, विधान सभा को लिखित या ऑन-लाईन माध्यम से सूचित करना होगा। जिस दिन वे शून्य काल के दौरान कोई विषय उठाना चाहते हैं ।
- दिन के लिए एक सदस्य से एक ही प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा । निश्चित समयावधि के उपरान्त प्राप्त नोटिस स्वत: ही समाप्त होगा ।
- माननीय सदस्य जिस विषयों को सदन में उठाना चाहते हैं उसी विषय पर अपनी बात व्यक्त करेंगे ।
- प्राप्त नोटिस/विषय को विधान सभा सचिवालय द्वारा बैलट की प्राथमिकता के अनुसार हर दिन 10 विषयों को शून्य काल के दौरान उठाने की अनुमति दी जा सकेगी । जिनका अध्यक्ष महोदय द्वारा क्रम निर्धारित किया जायेगा ।
- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जो विषय बैलट की प्राथमिकता में आए हों, उन्हीं विषय को सदस्य सभा में उठा पाएगें ।
- माननीय सदस्य विषय पर सीमित रहकर 2-3 मिनटों में अपनी बात रखेंगे । माननीय मन्त्री महोदय के उत्तर उपरान्त कोई भी अनुपुरक चर्चा नहीं होगी ।

महापाल

➢ **शून्य काल नोटिसों की ग्राह्यता:-**

1. उसमें ऐसे विषयों का उल्लेख होगा जो मुख्य रूप से प्रदेश सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हों ।
2. किसी मामले की गंभीरता, महत्व और तात्कालिकता विशेष उल्लेख के दौरान उसे उठाने के लिए मुख्य मानदंड होने चाहिए ।
3. केवल उन विषयों को उठाने की अनुमति दी जाएगी जो पिछले सत्र की बैठक के समापन के बाद और दिन की बैठक शुरू होने से पहले की अवधि के बीच का हो ।
4. सदस्य कोई मामला उठाने के लिए तभी नोटिस दे सकता है जब प्रासंगिक समय पर उसके पास सरकार का ध्यान उस मुद्दे की ओर आकर्षित करने के लिए कोई अन्य विकल्प उपलब्ध न हो ।
5. नोटिस का पाठ अधिकतम 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए ।
6. उसमें ऐसे विषय का उल्लेख नहीं होगा जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो या सत्र के दौरान अन्य नियमों में चर्चा होने की सम्भावना हो ।
7. एक नोटिस में एक से अधिक विभागों के मुद्दों को नहीं उठाया जाएगा ।
8. उसमें तर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियाँ, आरोप, व्यक्ति विशेष या मानहानि, सत्र की कार्यवाही में रूकावट, न्यायालय के विचाराधीन, कथन नहीं होंगे ।
9. उसमें विधान सभा सचिवालय/विधान सभा समिति/अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार की कार्यवाही का उल्लेख नहीं होगा।
10. यदि संबंधित मंत्री के पास सूचना उपलब्ध है तो वह उठाए गए मामले पर जवाब दे सकते हैं, अन्यथा मंत्री द्वारा जल्द से जल्द सम्बन्धित जवाब सदस्य को उपलब्ध करवा दिया जायेगा

सचिव, 16/12/24
हि0प्र0 विधान सभा।

पृ0सं0: वि0स0-विधायन-शून्यकाल/1-95/2024 **शिमला-4,** **दिनांक: 10 दिसम्बर, 2024**

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित की जाती है:-

1. समस्त माननीय सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।
2. हिमाचल प्रदेश से राज्य सभा/लोक सभा के समस्त संसद सदस्य, संसद भवन, नई दिल्ली ।
3. महासचिव, राज्य सभा/लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली।
4. सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद भवन, नई दिल्ली ।
5. सचिव, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली ।
6. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.

7. प्रधान निजी सचिव एवं विशेष सचिव माननीय मुख्य मन्त्री,वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय उप-मुख्य मन्त्री/निजी सचिव, नेता प्रतिपक्ष/ निजी सचिव, समस्त मन्त्रीगण एवं उप-मुख्य सचेतक, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
8. निजी सचिव अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय।
9. सचिव, राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश।
10. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला ।
11. प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त विधान मण्डल भारत वर्ष में।
12. समस्त समिति अधिकारी, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला ।
13. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
14. निदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन, शिमला-4, उनसे निवेदन है कि वे इस समाचार को एक से अधिक प्रसारणों में प्रसारित करने की कृपा करें

राज्यपाल
सचिव, 16/12/24
हि0प्र0 विधान सभा।